तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
09.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली अप्रार्थी पक्ष के जवाब हेतु नियत है। गत पेशी पर अंतिम अवसर दिया जा चुका है। न्यायालय हाजा में दो प्रकरण धारा 212 राज.काश्त अधि. के अन्तर्गत प्र.सं. 11/2018 पलविन्द्र सिंह आदि बनाम सुखविन्द्र कौर आदि एवं प्र.सं. 29/2022 सुखविन्द कौर बनाम पलविन्द्र सिंह आदि सामानान्तर विचाराधीन है। दोनों प्रकरण विवादित भूमि चक 23 जीबी खाता सं. 61 में दर्ज मु.नं. 36,52,45 की कुल 9.015है. को लेकर समान पक्षकारों के मध्य लम्बित है। प्र.सं. 11/18 में चक 23 जीबी खाता सं. 61 में दर्ज मु.नं. 36,52,45 की कुल 9.015है. भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पारित करने हेतु निवेदन किया गया है। इसी प्रकार प्र.सं. 29/22 में चक 23 जीबी मु.नं. 52 कि.नं. 1,2,9,10,11,20 की 6 बीघा भूमि पर तहसीलदार श्रीविजयनगर को रिसीवर नियुक्त करने व मिन्स प्रोफिट प्रार्थी को दिलाने का अनुतोष चाहा गया है। दोनों प्रकरणों के प्रार्थना पत्र के अभिवचनों पर मनन किया। विवादित भूमि में पक्षकारों के खातेदारी अधिकारों का निश्चय मूल वाद में गुणावगुण पर वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में केवल अस्थाई निषेधाज्ञा पर निर्णय होना है। न्यायालय की राय में चूंकि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के विरूद्ध वाद पेश किया गया है तथा प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनजर भविष्य में भूमि के अन्यत्र रहन बैय अन्तरण होने से तृतीय पक्षकार के सृजन हो जाने से प्रकरण में विधिक अड़चन उत्पन्न, मुकदमेबाजी बढ़ने व प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होना संभावित है, जिससे उभयपक्ष को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 23 जीबी खाता सं. 61 में दर्ज मु.नं. 36,52,45 की कुल 9.015है.नहरी, बाग मय खाला भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। **निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:50:07 IST Reason: SelfAttested शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर